

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) सं.प.अ. / 149 / 2022

दिनांक 03.11.2022

श्रीमती वैदेहीसिंह चौहान (RJ0891), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा), पाली को दिनांक 14.11.2022 से 19.11.2022 तक 06 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 20.11.2022 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती चौहान की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सा.दंगा), पाली के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से,

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2 (4)/62/2015/7368

दिनांक : 03.11.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, पाली को उनके पत्रांक 3124 दिनांक 10.10.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती वैदेहीसिंह चौहान (RJ0891), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सा.दंगा), पाली।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सा.दंगा), पाली।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पाली।

सहायक रजिस्ट्रार